भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **31**
दिनांक **17.07.2017** को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच मुक्त राज्य

31. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में केवल कुछ राज्य ही खुले में शौच मुक्त राज्य बने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी राज्यों को खुले में शौच मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) अब तक, पांच राज्यों नामतः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा को ओडीएफ घोषित किया गया है।

(ग) देश में सभी राज्यों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:-

- व्यवहारगत परिवर्तन पर बलः समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में उल्लिखित है, हालांकि राज्य अपने लिए उपयुक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है न कि केवल वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण पर। यह पूरे गांव को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को लचीलापन दिया गया है। भारत में व्यापक सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विविधता और यह नवाचारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
- इसमें सामुदायिक दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमताओं की कमी एक प्रमुख चुनौती है। अत: सभी पक्षों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। भारत सरकार की ओर से राज्यों तथा चयनित संगठनों (मुख्य संसाधन केंद्रों) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद वे उप-राज्य स्तरों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला स्तर पर नेतृत्व के लिए कार्यक्रम में जिला स्तर के प्रमुख-कलेक्टर को शामिल किया गया है। उन्हें कार्यशालाओं एवं बाहर के दौरों दोनों के माध्यम से उत्तम रीतियों से परिचित कराया जा रहा है। देश भर से 530 से अधिक कलेक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर से ही इससे परिचित कराने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी - (एलबीएसएनएए), मसूरी के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन के लिए 'प्रेरित' करना सहित एसबीएम (जी) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए आईएएस और अन्य ग्रुप ए के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- एनजीओ, कॉरपोरेट क्षेत्र, युवाओं आदि को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। पंचायतें सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं।
- समय को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर तकनीकी में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रो.आर.ए. माशेल्कर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति, सुरक्षा एवं व्यवहार्यता की दृष्टि से सभी नवीन तकनीकों का परीक्षण करती है।
- समग्र विकास एजेंडा में से स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने ओडीएफ गांवों में सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। कई अन्य विकास स्कीमों को स्वच्छता परिणामों के साथ जोड़ा जा रहा है।
- मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन को सुदृढ़ किया गया है। आईएमआईएस पर घरेलू स्तर के आंकड़े हैं। इसमें शौचालयों के जीयो-टैग्ड चित्रों को कैप्चर करने का प्रावधान भी है। एक स्वच्छता ऐप तैयार किया गया है जो घरेलू स्तर तक की स्वच्छता स्थिति पर ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराएगा। ''स्वच्छ ऐप'' पर नागरिकों द्वारा स्वच्छता की रैंकिंग भी की जा सकती है।
- जिलों की सहायता हेतु जिला स्वच्छता प्रेरकों को शामिल किया जा रहा है।
- ज्ञान को साझा करने के लिए स्वच्छ संग्रह का वैब पोर्टल बनाया गया है।